छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07-04-2026

क्र. **GENS-1001/22/2026-GAD-5 ::** राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि, मानसिक तनाव में कमी तथा नैतिक मूल्यों के संवर्धन हेतु विपश्यना ध्यान (Vipassana Meditation) की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सेवा के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विपश्यना केंद्रों द्वारा आयोजित 10 दिवसीय आवासीय विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने हेतु उनके संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 06 (छ:) बार विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) स्वीकृत किया जाएगा। इस अवकाश की अवधि यात्रा समय सहित अधिकतम 12 (बारह) दिन की होगी।

2/ संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को आवेदन के साथ विपश्यना केंद्र द्वारा जारी पंजीकरण पत्र (Admission Letter) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3/ शिविर संपन्न होने के पश्चात, संबंधित केंद्र द्वारा जारी भागीदारी प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा उक्त अवधि को उनके अन्य अर्जित अवकाशों में समायोजित किया जाएगा।

4/ यह अवकाश शासकीय कार्य की सुगमता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

5/ उक्त विशेष अवकाश की अवधि को कर्तव्य अवधि (On Duty) माना जाएगा तथा इस अवधि का पूर्ण वेतन देय होगा।

6/ शिविर हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अथवा अन्य व्यय शासन द्वारा देय नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
Anshika Pandey
Date: 07-04-2026
14:33:08

(अंशिका ऋषि पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमश: पेज...2

पृ.क्र.**GENS-1001/22/2026-GAD-5** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **07-04-2026**

<u>प्रतिलिपि</u> -

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
3. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर,
4. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर,
5. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, लोकभवन, रायपुर,
6. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर,
7. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़,
11. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
13. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, कृपया उक्त आदेश को वेबसाईट **<u>www.cmo.cg.gov.in</u>** में तत्काल अपलोड करवाने का कष्ट करें।
15. शासन के विभिन्न विभाग द्वारा गठित समस्त निगम/मंडल/आयोग/सहाकारी संस्था,
16. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
17. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
18. विशेष सहायक/निज सहायक, मा. मंत्रीगण, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
MANOJ KUMAR JAISWAR
Date: 07-04-2026
14:36:37

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग